न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 20/2022 दायर दिनाँक 12.01.2022

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. बुधाराम पुत्र रूपाराम उम्र 74 वर्ष 2. बालूराम पुत्र रूपाराम उम्र 72 वर्ष 3. गोदूराम पुत्र रूपाराम उम्र 74 वर्ष समस्त जाति मेघवाल निवासी बावड़ी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम्	1. भंवरलाल पुत्र भैरूराम उम्र 64 वर्ष 2. दुलाराम पुत्र भैरूराम उम्र 55 वर्ष 3. चीमनाराम पुत्र भैरूराम उम्र 42 वर्ष 4. नरसीराम पुत्र भैरूराम उम्र 35 वर्ष 5. ताराचन्द पुत्र भैरूराम उम्र 50 वर्ष 6. धन्नीदेवी पत्नि भैरूराम उम्र 80 वर्ष समस्त जाति मेघवाल निवासी नोसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 7. तहसीलदार , डीडवाना

दावा बाबत्
घोंषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री हकीम खां वकील वादी।
2. श्री असलम खां वकील प्रतिवादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 08.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार से है तथा प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 वादीगण के भाई के बेटे है व प्रतिवादीगण सं0 06 वादीगण के भाई की पत्नि है।

यह है क प्रतिवादीगण सं0 01 ता 06 के पिता व पति आज से 65 वर्ष पहले ग्राम भदलिया नोसर सास के गोद चले गये तथा वही परिवार सहित आबाद हो गया। तब से लेकर आज तक वही निवास कर रहे है प्रतिवादीगण सं0 01 ता 06 के पिता व प्रति भैरा राम का लगभग 15 वर्ष पूर्व में ही स्वर्गवास हो गया है।

यह है कि प्रतिवादीबण सं0 01 ता 06 स्व0 भैराराम के जायज वारिशान है तथा वर्तमान में प्रतिवादी सं0 01 ता 06 ग्राम नोसर में ही रह रहे है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 06 के पिता व पति की संयुक्त खातेदारी का खेत वाकै सरहद बावड़ी में खसरा सं0 231 रकबा 0.01000 हैक्टे, खसरा सं0 232 रकबा 0.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 233 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 234 रकबा 0.0700 हैक्टे0, खसरा सं0 235 रकबा 5.3415 हैक्टे0, खसरा सं0 983/235 रकबा 2.7900 हैक्टे0 वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी है किन्तु उक्त खेतान पर 65 वर्षो से वादीगण का ही कब्जा काश्त है व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 06 के पिता व पति 65 वर्ष पहले ही ग्राम भदलिया नोसर जाकर रहने लग गये व नोसर में गोद जाने के कारण वहां पर उनकी सम्पति व खेत है किन्तु राजस्व अधिकारियों ने भूल वश प्रतिवादीगण के ता व पति स्व0 भैराराम का गलती से खातेदारी में नाम दर्ज कर दिया है जो अब हटाया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:33:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :–

यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 06 के पिता व पति की संयुक्त खातेदारी का खेत वाकै सरहद बावड़ी में खेत खसरा सं0 231 रकबा 0.01000 हैक्टे, खसरा सं0 232 रकबा 0.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 233 रकबा 0.0300 हैक्टे, खसरा सं0 234 रकबा 0.0700 हैक्टे0, खसरा सं0 235 रकबा 5.3415 हैक्टे, खसरा सं0 983/235 रकबा 2.7900 हैक्टे0 वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी है किन्तु उक्त खेतान पर 65 वर्षो से वादीगण का ही कब्जा काश्त है व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 06 के पिता व पति 65 वर्ष पहले ही ग्राम भदलिया नोसर जाकर रहने लग गये व नोसर में गोद जाने के कारण वहां पर उनकी सम्पति व खेत है किन्तु राजस्व अधिकारीयों ने भूल वश प्रतिवादीगण के पिता व पति स्व0 भैराराम का गलती से खातेदारी में नाम दर्ज कर दिया है जो अब हटाया जाना आवश्यक है। व प्रतिवादीगण 01 ता 06 के पिता व प्रति की 1/4 हिस्सा भूमि वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। उक्त खातेदारी की भूमि पुस्तैनी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01, 02, 04, 05, 06 का राजीनामा पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 3 का इकबालिया जबाब पेश हुआ। जिसे सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 07 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बावड़ी के खेत खसरा सं0 231, 232, 233, 234, 235, 983/235 में प्रतिवादीगण 01 ता 06 के पिता व पति की 1/4 हिस्सा भूमि को वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **08.06.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:33:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 20/2022 — दायर दिनाँक 12.01.2022

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. बुधाराम पुत्र रूपाराम उम्र 74 वर्ष 2. बालूराम पुत्र रूपाराम उम्र 72 वर्ष 1. गोदूराम पुत्र रूपाराम उम्र 74 वर्ष समस्त जाति मेघवाल निवासी बावड़ी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	**बनाम्**	1. भंवरलाल पुत्र भैरूराम उम्र 64 वर्ष 2. दुलाराम पुत्र भैरूराम उम्र 55 वर्ष 3. चीमनाराम पुत्र भैरूराम उम्र 42 वर्ष 4. नरसीराम पुत्र भैरूराम उम्र 35 वर्ष 5. ताराचन्द पुत्र भैरूराम उम्र 50 वर्ष 6. धन्नीदेवी पत्नि भैरूराम उम्र 80 वर्ष समस्त जाति मेघवाल निवासी नोसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 7. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 08.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हकीम खां वकील वादी व श्री असलम खां वकील प्रतिवादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बावड़ी के खेत खसरा सं0 231, 232, 233, 234, 235, 983/235 में प्रतिवादीगण 01 ता 06 के पिता व पति की 1/4 हिस्सा भूमि को वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीक का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:33:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner